झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य–996/2017– 46/21-21 /राँची, दिनांक 19.03.2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना हेतु रू० 12849.46 करोड़ (रूपये बारह हजार आठ सौ उन्चास करोड़ छियालीस लाख) मात्र के षष्टम् पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. मुख्य अभियंता, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर प्रक्षेत्राधीन सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना हेतु रू० 12849.46 करोड़ (रूपये बारह हजार आठ सौ उन्चास करोड़ छियालीस लाख) मात्र के षष्टम् पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस परियोजना से खरीफ तथा रब्बी क्षेत्र मिलाकर झारखण्ड राज्य के 2,31,523 हे० में, उड़ीसा राज्य के 90,000 हे० एवं पश्चिम बंगाल राज्य के 5000 हे० में सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। बाढ़ के प्रबंधन का भी कार्य इस योजना में सम्मिलित है। इस परियोजना से म्युनिसिपल एवं औद्योगिक जलापूर्त्ति हेतु भी 740 एम०सी०एम० पानी उपबन्ध है। वर्ष 2020 में झारखण्ड राज्य के 52866.49 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रदान की गयी है।

लाभान्वित जिला (3)	:–	पू० सिंहभूम, प० सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ
लाभान्वित प्रखण्ड (21)	:–	चांडिल, बोराम, जमशेदपुर, घाटशिला, धालभूमगढ़, चाकुलिया, बहरागोड़ा, मूसाबनी, गुड़ाबंधा, गम्हरिया, राजनगर, सरायकेला, खरसावाँ, पोटका, चाईबासा, खुँटपानी, डुमरिया, पटमदा, कुचाई, ईचागढ़, नीमडीह

3. परियोजना के मुख्य अवयवों एवं इनकी भौतिक प्रगति निम्नवत् है :–

(i) चांडिल बाँध :– बाँध एवं बायीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण। बायीं मुख्य नहर से निकलने वाले 60 वितरणी/उप वितरणी में से 43 अदद् का कार्य पूर्ण। 324 माइनर/सब माइनर में से 30 का कार्य पूर्ण तथा 1225 water course में से 234 का कार्य पूर्ण।

(ii) गालूडीह बराज :– गालूडीह बराज एवं गालूडीह दायीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण। गालूडीह बायीं मुख्य नहर का कार्य 85% पूर्ण। गालूडीह दांयी मुख्य नहर से निकलने वाले 5 अदद् वितरणी/उप वितरणी का कार्य पूर्ण। गालूडीह बायीं मुख्य नहर से निःसृत 2 वितरणी का कार्य प्रगति पर है। शेष 40 वितरणी का कार्य यथासंभव Under Ground Pipe Line (UGPL) से कराने का कार्यक्रम है।

(iii) **ईचा बाँध** :– ईचा बाँध के अवशेष निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु कार्य आवंटित है। ईचा बायीं एवं दायीं मुख्य नहर का कार्य लगभग पूर्ण है। ईचा दायीं मुख्य नहर से निकलने वाले 10 अदद् वितरणी में से 6 अदद् का कार्य लगभग पूर्ण है, 2 का कार्य प्रगति पर है। इस नहर से निकलने वाले लघु वितरण प्रणाली का निर्माण यथासंभव UGPL के माध्यम से कराने हेतु DPR तैयार किया जा रहा है। बायीं मुख्य नहर से निःसृत एक वितरणी का कार्य 85% पूर्ण है। इस नहर से निकलने वाले लघु वितरण प्रणाली का निर्माण यथासंभव UGPL के माध्यम से कराने हेतु DPR तैयार किया जा रहा है।

(iv) **खरकई बराज** :– खरकई बराज का कार्य लगभग पूर्ण है। एफलक्स बाँध का निर्माण कार्य प्रगति में है। खरकई दायीं मुख्य नहर का कार्य लगभग 80% पूर्ण हो चुका है एवं इससे निकलने वाली तीन वितरणियों में से दो का कार्य प्रगति में, जिसमें से एक का कार्य लगभग पूर्ण है। इसके लघु वितरण प्रणाली का निर्माण यथासंभव UGPL के माध्यम से कराने हेतु DPR तैयार किया जा रहा है। बायीं मुख्य नहर, जिससे सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त सीतारामपुर डैम को भी पानी दिया जाना है, का निर्माण पम्प कैनाल के रूप में किया जाना है, जिसका DPR तैयार किया जा रहा है।

4. परियोजना पर मार्च 2020 तक कुल रू० 6541.64 करोड़ व्यय हुआ है।

5. Monitoring (East & West) Directorate, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को पत्रांक– 8/3/SUBERN/2019/MON(E&W)/447-56 दिनांक 06.09.2019 द्वारा सुवर्णरेखा परियोजना का Clearance प्राप्त है, जिसके तहत् AIBP Component रू० 9579.58 करोड़ की है।

6. परियोजना अन्तर्गत चांडिल दायीं मुख्य नहर की राशि रू० 1078.94 करोड़ एवं balance cost of Water Course की राशि रू० 764.61 करोड़ को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा AIBP में शामिल नहीं किया गया है। परन्तु दोनों कार्य सुवर्णरेखा परियोजना का भाग होने के कारण इन कार्यों को राज्य योजना मद से किए जाने हेतु कुल राशि रू० 14949.744 करोड़ का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता, चांडिल एवं ईचा–गालूडीह द्वारा दिया गया है।

7. चांडिल दांयी मुख्य नहर के निर्माण कार्य (लागत राशि रू० 1078.94 करोड़) तथा खरकई दांयी मुख्य नहर से निःसृत मुराकाटी शाखा नहर (लागत राशि रू० 1021.35 करोड़) को सुषुप्तावस्था में रखते हुए परियोजना हेतु षष्टम् पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति में किये गए प्रावधान, मार्च 2020 तक व्यय एवं अवशेष कार्य से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि करोड़ रू० में)

Sl.	Project Sub-heads	Amount of last revised (5th) Administrative Approval	Exp. upto March 2020	Balance work	Proposed Sixth Revised Estimate (4+5)	% increase w.r.t. Cl-3	वृद्धि का कारण	
1	2	3	4	5	6	7		
A	**Direct Charges**							
I	Works							
	A-Preliminary	16.74	9.20	19.66	28.86	72.40%	मूल्यवृद्धि	
	B- Land	1439.46	1220.82	1960.01	3180.83	120.97%	मूल्यवृद्धि	

Sl.	Project Sub-heads	Amount of last revised (5th) Administrative Approval	Exp. upto March 2020	Balance work	Proposed Sixth Revised Estimate (4+5)	% increase w.r.t. Cl-3	वृद्धि का कारण	
1	2	3	4	5	6	7		
	C- Works	723.02	764.49	966.18	1730.67	139.37%	मूल्यवृद्धि	
	D- Regulator & Measuring Devices	64.33	85.94	2.86	88.80	38.04%	मूल्यवृद्धि	
	E- Falls	5.25	4.46	0.43	4.89	-6.86%		
	F- C.D. Works	307.10	465.22	103.70	568.92	85.26%	मूल्यवृद्धि	
	G- Bridges	95.23	206.45	-3.91	202.54	112.69%	मूल्यवृद्धि	संख्या बढ़ना
	H- Escape	51.87	47.12	-3.22	43.90	-15.37%		
	I - Navigation works	0.00	0.00	0.00	0.00			
	J- Power Plant - civil works	0.00	0.00	0.00	0.00			
	K- Building	24.27	39.73	41.01	80.74	232.68%	मूल्यवृद्धि	
	L- Earth work			0.00	0.00			
	a) Earth works	973.34	1603.15	-145.10	1458.05	49.80%	मूल्यवृद्धि	
	b) Lining	150.88	93.37	69.54	162.91	7.97%	मूल्यवृद्धि	
	c) Service road	96.02	0.79	125.08	125.87	31.09%	मूल्यवृद्धि	
	M- Plantation	2.62	0.30	3.35	3.65	39.31%	मूल्यवृद्धि	
	N- Tanks & Reservoir	0.00	0.00	0.00	0.00			
	O- Miscellaneous	47.05	60.73	20.63	81.36	72.93%	मूल्यवृद्धि	
	P- Maintenance	47.98	66.15	36.11	102.26	113.13%	मूल्यवृद्धि	
	Q- Special T&P	12.42	15.35	3.70	19.05	53.38%	मूल्यवृद्धि	
	R- Communication	21.58	13.78	47.50	61.28	183.97%	मूल्यवृद्धि	
	S- Power Plant & Electrical System	0.00	0.00	0.00	0.00			
	T- Water Supply works	0.00	0.00	0.40	0.40			
	U- Distributary & Minors & Sub Minors	1411.43	1175.62	2241.97	3417.59	142.14%	मूल्यवृद्धि	
	V- Water Course	385.19	22.56	734.42	756.98	96.52%	मूल्यवृद्धि	
	W- Drainage	0.00	0.00	0.00	0.00			
	X- Environment & Ecology	124.22	175.95	104.91	280.86	126.10%	मूल्यवृद्धि	
	Y- Losses on Stock	8.12	0.00	5.16	5.16	-36.45%		
	Total of I-Works	**6008.09**	**6071.18**	**6334.39**	**12405.57**	**106.48%**		

Sl.	Project Sub-heads	Amount of last revised (5th) Administrative Approval	Exp. upto March 2020	Balance work	Proposed Sixth Revised Estimate (4+5)	% increase w.r.t. Cl-3	वृद्धि का कारण	
1	2	3	4	5	6	7		
II	Estabishment	525.74	420.36	0.00	420.36	-20.04%		
III	T & P	47.54	20.86	0.30	21.16	-55.49%		
IV	Suspense	0.00	30.31	-30.28	0.03			
V	Receipt & Recoveries	-44.27	-14.87	13.04	-1.83	-95.86%		
	Total of direct charges	6537.10	6527.84	6317.45	12845.29	96.50%		
B	Indirect Charges							
a)	Capitalised value of abatement of land revenue	32.90	4.61	-3.86	0.75	-97.73%		
b)	Audit & Accounts	43.73	9.19	-5.77	3.42	-92.18%		
	Total of Indirect charges	76.64	13.80	-9.63	4.17	-94.56%		
	Grand Total of A + B+C	6613.74	6541.64	6307.82	12849.46	94.28%		

8. भू–अर्जन – इस परियोजना हेतु लगभग 54559 हे० रैयती एवं गैर मजरूआ भूमि की आवश्यकता है। कुल आवश्यक भूमि के विरूद्ध 36,811 हे० भूमि का भू–अर्जन हो चुका है। जिन वितरण प्रणालियों के भू–अर्जन में कठिनाई हो रही है, वहाँ आवश्यकतानुसार Under Ground Pipe Line (UGPL) के माध्यम से नहर निर्माण का कार्य कराने का प्रस्ताव है।

9. वनभूमि – परियोजना हेतु आवश्यक 1800.81 हे० वनभूमि में से 1655.55 हे० वनभूमि का Stage-II Clearance प्राप्त है। दलमा वाईल्ड लाइफ सैन्चूरी में पड़ने वाले शेष 145.26 हे० वनभूमि का Stage-I Clearance प्राप्त है।

10. पुनर्वास – पूरी परियोजना हेतु पुनर्वास की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र०	पुनर्वास	चांडिल डैम	ईचा डैम
(i)	प्रभावित कुल ग्रामों की संख्या	116	87
(ii)	पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की संख्या	38	26
(iii)	आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की संख्या	78	61
(iv)	कुल प्रभावित परिवारों की संख्या	19115	7545 (अनुमानित)
(v)	निर्गत विकास पुस्तिका	13207	2396
(vi)	विस्थापित परिवारों को दी गई नौकरी	1331	502
(vii)	पुनर्वास स्थल	13	8

11. परियोजना का लाभ–लागत अनुपात 10% ब्याज पर 1.17 आकलित है।

12. परियोजना के अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु फेजवार प्रस्ताव निम्नवत् है :–

फेज–1

(i) चांडिल डैम एवं इससे निःसृत पूरे वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य।

(ii) गालूडीह बराज एवं इससे निःसृत पूरे वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य।

(iii) चांडिल डैम का जलस्तर 181 से 185 मीटर ले जाने के फलस्वरूप R&R के लिये सभी मुआवजा का भुगतान।

(iv) ईचा डैम :– जल संचयन हेतु ईचा बाँध का निर्माण कार्य, जिससे 213 मी० तक जल संचयन किया जायेगा। इससे निःसृत बायीं मुख्य नहर के 19.75 कि०मी० तक से निःसृत वितरण प्रणाली तथा दायीं मुख्य नहर के कि०मी० 30.20 तक से निःसृत वितरण प्रणाली का निर्माण यथासंभव UGPL के माध्यम से कराने का कार्यक्रम।

(v) खरकई बराज एवं इसके एफलक्स बाँध का शेष कार्य पूर्ण कर उससे निःसृत खरकई दायीं मुख्य नहर के 29.83 कि०मी० तक से निःसृत वितरण प्रणाली का यथासंभव UGPL के माध्यम से निर्माण कार्य। खरकई बायीं मुख्य नहर के 2.50 कि०मी० तथा इससे निःसृत वितरण प्रणाली (पम्प कैनाल) का निर्माण कार्य। खरकई बायीं मुख्य नहर से सीतारामपुर जलाशय में पेयजल आपूर्त्ति हेतु पानी दिया जायेगा।

(vi) जो कार्य फेज–2 एवं फेज–3 में किये जाने का प्रस्ताव है, उसके लिये आवश्यक सर्वे, अनुसंधान, रूपांकण, वनभूमि से NOC आदि का कार्य तथा जहाँ वैधानिक एवं अनिवार्य स्वीकृति की आवश्यकता है, उसकी कार्रवाई की जायेगी।

(vii) फेज–1 का कार्य पूर्ण कराने पर लगभग रू० 2580.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

फेज–1 का कार्य पूर्ण होने पर इस परियोजना से 73 हजार हे० क्षेत्र में सिंचाई दी जायेगी।

फेज–2

(i) चांडिल डैम का जलस्तर 185 से 189 मीटर ले जाने के फलस्वरूप R&R के लिये अवशेष सभी मुआवजा का भुगतान।

(ii) ईचा बाँध में 213 मी० से 217 मी० तक जल संचयन हेतु आवश्यक भू–अर्जन एवं R&R कार्य चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

(iii) ईचा बाँध के दोनों मुख्य नहर से निःसृत शेष वितरण प्रणाली का UGPL के माध्यम से निर्माण कार्य।

फेज–3

(i) चांडिल डैम का जलस्तर 189 से 192 मीटर ले जाने के फलस्वरूप R&R के लिए अवशेष सभी मुआवजा का भुगतान।

(ii) ईचा बाँध में 217 मी० से 225 मी० तक जल संचयन हेतु आवश्यक भू–अर्जन एवं R&R कार्य चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

(iii) योजना के अन्य बचे हुए अवयवों का कार्य।

- फेज–1 का कार्य मार्च 2023 तक पूरा करने का कार्यक्रम है, जिसपर रू० 2580.00 करोड़ राशि का व्यय संभावित है। उक्त राशि निम्न रूप से प्राप्त हो सकेगी :–

➢ केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	:–	रू० 616.96 करोड़
➢ बंगाल शेयर	:–	रू० 19.09 करोड़
➢ उड़ीसा शेयर	:–	रू० 357.00 करोड़
➢ राज्यांश हेतु नाबार्ड ऋण	:–	रू० 875.00 करोड़
➢ राज्य योजना	:–	रू० 711.95 करोड़
कुल	:–	रू० 2580.00 करोड़

- फेज–2 एवं 3 के कार्य विभाग स्तर पर कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात् इसे प्रारम्भ किया जायेगा।

13. परियोजना के षष्ट्म पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.02.2021 की बैठक में निम्नरूपेण सशर्त्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

(i) प्रस्तावित योजना के फेज–I के कार्य पर रू० 2580.00 करोड़ व्यय करते हुए मार्च, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसकी अवयववार राशि निम्नवत् है :–

Sl.	Name of Component	Amount (Rs. in crore)	Odisha Share (Rs. in crore)
1	Chandil Dam with R/R	130.00	35.00
2	Distribution System of CLMC	250.00	0.00
3	Galudih Barrage Head Works	25.00	0.00
4	Main Canal and Distribution System from Galudih Barrage (GRMC & GLMC)	200.00	37.00
5	Icha Dam and their Distribution System	1805.00	285.00
6	Kharkai Barrage and their Distribution System	170.00	0.00
	Total :-	**2580.00**	**357.00**

(ii) समीक्षोपरान्त प्रशासी विभाग को प्रथम फेज में निर्धारित उक्त कार्यों को दो भाग में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार उपरोक्त विवरणी के क्रम सं०– 1, 2, 3, 4 एवं 6 (कुल संभावित लागत रू० 775.00 करोड़) का कार्य प्रथम फेज के पहले भाग में प्राथमिकता के आधार पर करने की स्वीकृति दी गयी ताकि सीमित उपलब्ध राशि में कृषकों को अधिकाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

(iii) उक्त विवरणी के क्रम सं०–5 पर वर्णित योजना, Icha Dam and their Distribution System (कुल संभावित लागत रू० 1805.00 करोड़) का कार्य प्रथम फेज के द्वितीय भाग में सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया।

14. इस परियोजना पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4700, मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत् विकलनीय होगा।

15. सुवर्णरेखा परियोजना के सभी कार्यपालक अभियंता इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

16. सुवर्णरेखा परियोजना के कार्यों को वित्तीय वर्ष 2023–24 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

17. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

18. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

19. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

20. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

21. प्रस्ताव एवं संलेख पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

22. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 12.03.2021 के मद सं०–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

23. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

24. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

19/03/21

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य–996/2017– 46/2021 ...... /राँची, दिनांक 19.03.2021

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.03.21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—996/2017— 46/20-21 प्र० सी० /राँची, दिनांक 19.03.2021

प्रतिलिपि :— सभी कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम/पश्चिमी सिंहभूम/सरायकेला—खरसावाँ जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—996/2017— 46/20-21 प्र०सी० /राँची, दिनांक 19.03.2021

प्रतिलिपि :— सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, ईचा—गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना परिक्षेत्राधीन/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—996/2017— 46/20-21 प्र०सी० /राँची, दिनांक 19.03.2021

प्रतिलिपि :— उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/पश्चिमी सिंहभूम/ सरायकेला—खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—996/2017— 46/20-21 प्र०सी० /राँची, दिनांक 19.03.2021

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

महालेखाकार, झारखण्ड/बिहार को संसूचित किये जाने वाले राज्यादेश के सम्बन्ध में जाँच पत्र

1.	विभाग का नाम	:	जल संसाधन विभाग
2.	संचिका संख्या	:	1/पी०एम०सी०/कार्य–996/2017
3.	प्रस्ताव	:	सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना हेतु रू० 12849.46 करोड़ (रूपये बारह हजार आठ सौ उन्चास करोड़ छियालीस लाख) मात्र के षष्टम् पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
4.	प्रस्ताव स्वीकृत्यादेश द्वारा राजपत्रित पद का सृजन अथवा अवधि विस्तार किया गया अथवा नहीं यदि हाँ तो क्या दो प्रतियों में भेजी जा रही है।	:	नहीं
5.	प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई या नहीं	:	आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6.	वित्त विभाग में प्रस्ताव में सहमति प्रदान करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं दिनांक	:	विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.02.2021 की बैठक में सशर्त्त स्वीकृत। योजना –सह– वित्त विभाग के ज्ञापांक– रा०यो०प्रा०–30/2021 दिनांक 01.03.2021 द्वारा संसूचित।
7.	महालेखाकार, झारखण्ड/बिहार को संसूचित किये जाने वाले पत्र की संख्या एवं तिथि	:	
8.	यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका 1 से 7 तक में दिये गये विवरण ठीक है एवं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश इसके पूर्व संसूचित करने हेतु वित्त विभाग को नहीं भेजा गया है।		

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग

नोट :– उपसचिव के स्तर के पदाधिकारी से नीचे स्तर के पदाधिकारी का हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।